छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर (छ.ग.)

रिट याचिका क्रमांक 2636/ 2005

याचिकाकर्ता :- मेसर्स युगबोध प्रकाशन (पंजीकृत फर्म)

पंजीकृत कार्यालय– 6 समता कॉलोनी, रायपुर

द्वारा : पार्टनर आत्मबोध अग्रवाल उम्र लगभग 35 वर्ष पुत्र श्री लाल चंद अग्रवाल

आर/ओ: समता कॉलोनी, रायपुर, (छ.ग.)

-: बनाम :-

उत्तरवादीगण- 1. छत्तीसगढ़ शासन

द्वारा : सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग छत्तीसगढ शासन

डी.के.एस भवन, जी.ई रोड

रायपुर, (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल

द्वारा : सचिव

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल.

पेंशन बाडा

रायपुर, (छ.ग.)

3. छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम

रायपुर, (छ.ग.)

द्वारा : सचिव छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम

रायपुर, (छ.ग.)

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत याचिका

<u>उच्च न्यायालय बिलासपुर (छत्तीसगढ़)</u>

<u>रिट याचिका संख्या 1856/2005</u>

मेसर्स युगबोध प्रकाशन, रायपुर

-: बनाम :-

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल, रायपुर

<u>रिट याचिका संख्या 2114/2005</u>

मेसर्स युगबोध प्रकाशन

-: बनाम :-

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल एवं अन्य

<u>रिट याचिका संख्या 2407/2005</u>

मेसर्स युगबोध प्रकाशन

-: बनाम :-

छत्तीसगढ़ शासन एवं अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>रिट याचिका संख्या 2636/2005</u>

मेसर्स युगबोध प्रकाशन

-: बनाम :-

छत्तीसगढ़ शासन एवं अन्य

एवं

<u>रिट याचिका संख्या 2749/2005</u>

मेसर्स युगबोध प्रकाशन, रायपुर

-: बनाम :-

छत्तीसगढ़ शासन एवं अन्य

---

1 अगस्त 2005 को आदेश हेतु सूचीबद्ध

हस्ताक्षर/-
(एल. सी. भादू.)
न्यायाधीश

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

उच्च न्यायालय बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

रिट याचिका संख्या 1856/2005

मेसर्स युगबोध प्रकाशन, रायपुर

-: बनाम :-

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल, रायपुर

रिट याचिका संख्या 2114/2005

मेसर्स युगबोध प्रकाशन

-: बनाम :-

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल एवं अन्य

रिट याचिका संख्या 2407/2005

मेसर्स युगबोध प्रकाशन

-: बनाम :-

छत्तीसगढ़ शासन एवं अन्य

रिट याचिका संख्या 2636/2005

मेसर्स युगबोध प्रकाशन

-: बनाम :-

छत्तीसगढ़ शासन एवं अन्य

एवं

रिट याचिका संख्या 2749/2005

मेसर्स युगबोध प्रकाशन, रायपुर

-: बनाम :-

छत्तीसगढ़ शासन एवं अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थित :-

याचिकाकर्ता के लिए श्री वी. जी. तामस्कर अधिवक्ता

श्री प्रशांत मिश्रा, अतिरिक्त महाधिवक्ता शासन/उत्तरवादी संख्या 1 की ओर से

श्री एच.बी. अग्रवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ श्री बी.डी. गुरु एवं सुश्री शिप्रा बिस्वास (अधिवक्ता) उत्तरवादी संख्या 2 की ओर से

श्री रणबीर सिंह मरहास, (अधिवक्ता) उत्तरवादी संख्या 3 के लिए

आदेश

(१ अगस्त, २००५ को पारित)

माननीय न्यायमूर्ति श्री एल. सी. भादू

1. इस सामान्य आदेश द्वारा रिट याचिकाएं क्रमांक 1856/2005, 2114/2005, 2407/2005, 2636/2005 एवं 2749/2005 का एक साथ निराकरण किया जा रहा है क्योंकि एक ही याचिकाकर्ताओ ने लगातार ये पाँच याचिकाएं दायर की हैं, जिनमें छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल एवं छ.ग.शासन द्वारा की गई उस कार्यवाही को चुनौती दी गई है, जिसके अंतर्गत उन्होंने कक्षा 9 वीं एवं 10 वीं की पाठ्यपुस्तकों के मुद्रण, प्रकाशन एवं वितरण का कार्य छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम को सौंप दिया है, जबकि यह कार्य याचिकाकर्ता एवं छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के मध्य दिनांक 12-06-2002 को संपादित करार के विपरीत है, जिसमें याचिकाकर्ता को वर्ष 2002 से प्रभावी पांच वर्षों की अवधि के लिए उक्त पाठ्यपुस्तकों के मुद्रण, प्रकाशन एवं वितरण का कार्य सौंपा गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. इन रिट याचिकाओं के निराकरण हेतु आवश्यक संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि याचिकाकर्ता पाठ्यपुस्तकों के मुद्रण, प्रकाशन एवं विक्रय के कार्य में संलग्न है। वर्ष 2002 में, उत्तरवादी मण्डल के सचिव द्वारा कक्षा 9 वीं, 10 वीं, 11 वीं एवं 12 वीं के लिए पाठ्यपुस्तकों का निर्धारण किया गया एवं तत्पश्चात दिनांक 12-06-2002 को उत्तरवादी मण्डल द्वारा याचिकाकर्ता के साथ एक करार संपादित किया गया, जिसके अंतर्गत याचिकाकर्ता को उपरोक्त कक्षाओं अर्थात् कक्षा 10 वीं की 'संस्कृत सामान्य', कक्षा 10 वीं की 'हिंदी विशेष', कक्षा 12 वीं की 'हिंदी विशेष', कक्षा 9 वीं की 'सामान्य

अंग्रेज़ी', कक्षा 10 वीं की 'सामान्य अंग्रेज़ी' तथा कक्षा 12 वीं की 'सामान्य अंग्रेज़ी' की पाठ्यपुस्तकों के मुद्रण, प्रकाशन एवं वितरण की अनुमति दी गई, एवं इसके लिए याचिकाकर्ता को प्रति वर्ष ₹3,50,000/- की रॉयल्टी का भुगतान करना था। इसके पश्चात् याचिकाकर्ता ने उपरोक्त पुस्तकों का मुद्रण, प्रकाशन एवं वितरण वर्ष 2002-03, 2003-04 तथा 2004-05 में निर्धारित रॉयल्टी ₹3,50,000/- प्रति वर्ष जमा करके किया। यहां तक कि सत्र 2005-06 के लिए भी याचिकाकर्ता द्वारा ₹3,50,000/- की रॉयल्टी जमा कर दी गई। तथापि, दिनांक 26-04-2005 को छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर द्वारा याचिकाकर्ता को एक पत्र प्रेषित कर यह सूचित किया गया कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 'छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम' की स्थापना की गई है तथा यह निर्णय लिया गया है कि अब उक्त पुस्तकों का प्रकाशन उक्त निगम द्वारा किया जाएगा, अतः याचिकाकर्ता से पुस्तकों की पाण्डुलिपियाँ वापस करने हेतु कहा गया। याचिकाकर्ता ने मण्डल की उक्त कार्रवाई को रिट याचिका क्रमांक 1856/2005 के माध्यम से चुनौती दी। परन्तु, जब यह प्रकरण दिनांक 12-05-2005 को सुनवाई हेतु प्रस्तुत हुआ, तब उत्तरवादी मण्डल की ओर से श्री एच. बी. अग्रवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 26-04-2005 का पत्र मण्डल द्वारा वापस ले लिया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3.

3. छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम द्वारा दिनांक 12-05-2005 को याचिकाकर्ता को यह सूचित किया गया कि उसके द्वारा एक केवियट दायर की गई है। तत्पश्चात, याचिकाकर्ता ने दिनांक 24-05-2005 को रिट याचिका क्रमांक 2114/2005 याचिका दायर की जिसमे निर्देश माँगा कि माननीय न्यायालय यह घोषणा करें कि छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, करार दिनांक 12-06-2002 को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से निरस्त अथवा निष्प्रभावी नहीं कर सकता, तथा आगे यह अनुतोष चाहा गया कि उत्तरवादीगण — छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल एवं

छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम को निर्देशित किया जाए कि वे पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण, प्रकाशन, वितरण एवं विक्रय करने से विरत रहें। इसके पश्चात छ.ग. शासन द्वारा दिनांक 01-06-2005 को एक आदेश पारित कर यह निर्णय लिया गया कि समस्त पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण, प्रकाशन, वितरण एवं प्रसार केवल छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम के माध्यम से किया जाएगा। उक्त आदेश की वैधता को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ता ने रिट याचिका क्रमांक 2407/2005 दायर की। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता ने पुनः रिट याचिका क्रमांक 2636/2005 प्रस्तुत कर उत्तरवादीगण के निर्णय पर प्रश्न उठाया कि उत्तरवादीगण द्वारा पूर्व में अधिकृत एवं पंजीकृत निजी प्रकाशकों को बिना किसी पूर्व सूचना अथवा सुनवाई के पाठ्यक्रम में परिवर्तन कर दिया गया । तत्पश्चात, याचिकाकर्ता द्वारा रिट याचिका क्रमांक 2749/2005 याचिका दायर कर यह प्रार्थना की गई कि छ.ग. शासन द्वारा दिनांक 30-04-2005 को पारित वह आदेश, जिसके अंतर्गत कक्षा 9 वीं एवं 10 वीं की पाठ्य पुस्तकों को परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया था, को विधिविरुद्ध घोषित कर निरस्त किया जाए, एवं यह निर्देश पारित किया जाए कि उत्तरवादीगण द्वारा प्रॉस्पेक्टस, 2002 के विपरीत जो भी पाठ्य पुस्तकें मुद्रित, प्रकाशित, वितरित एवं विक्रय की गई हैं, उन्हें बाज़ार से वापस लिया जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. उत्तरवादी छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया है, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि माध्यमिक शिक्षा मण्डल का गठन शासन के पुनर्गठन के पश्चात् दिनांक 20-07-2001 को किया गया था। तत्पश्चात् मण्डल द्वारा माध्यमिक शिक्षा हेतु पाठ्यक्रम निर्धारित करने का कार्य प्रारंभ किया गया तथा आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरांत दिनांक 15-03-2002 को पाठ्यक्रम तैयार कर प्रकाशित किया गया (संलग्न-र/2)। मण्डल द्वारा निर्धारित

उक्त पाठ्यक्रम के आधार पर कुछ निजी प्रकाशकों ने मण्डल के साथ पाठ्यपुस्तकों के प्रकाशन हेतु करार किया, ताकि उक्त पुस्तकों को शासन के माध्यमिक विद्यालयों में अधिमान्य एवं प्रमाणित अध्ययन सामग्री के रूप में वितरित किया जा सके। छ.ग. शासन द्वारा दिनांक 05-08-2004 को पाठ्यपुस्तक निगम (संक्षेप में 'टीबीसी') का गठन किया गया (संलग्न-र/3)। छ.ग. शासन द्वारा दिनांक 30 अप्रैल 2005 को एक आदेश (संलग्न-र/4) जारी किया गया, जिसमें यह उल्लेखित है कि मण्डल की पाठ्यचर्या समिति द्वारा स्वीकृत संशोधित पाण्डुलिपि प्राप्त हुई है। मण्डल के परामर्श एवं अनुरोध पर, छ. ग. शासन ने प्राथमिक, मध्य शाला तथा माध्यमिक शिक्षा (पाठ्यपुस्तकों संबंधी व्यवस्था) अधिनियम, 1973 (अवधारित रूप में 'अधिनियम, 1973') की धारा 4 के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कक्षा 9 वीं एवं 10 वीं हेतु पाठ्यपुस्तकों को निर्धारित की। चूंकि टीबीसी का गठन पूर्व में ही किया जा चुका था, अतः मण्डल एवं छ.ग. शासन द्वारा पाठ्यपुस्तकों के निर्माण, मुद्रण एवं वितरण का कार्य टीबीसी को सौंपने का निर्णय लिया गया। एक नीति निर्णय के अंतर्गत यह तय किया गया कि छत्तीसगढ़ शासन के शासकीय एवं अनुदान प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 9 वीं एवं 10 वीं की सभी बालिका छात्राओं को पाठ्यपुस्तकें नि:शुल्क प्रदान की जाएँगी। उक्त योजना से शासन भर की लगभग 2 लाख छात्राओं को लाभ प्राप्त होगा। तत्पश्चात् छ.ग. शासन ने दिनांक 01-06-2005 को अधिनियम, 1973 की धारा 5 के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए टीबीसी को पाठ्यपुस्तकों के निर्माण एवं मुद्रण हेतु अधिकृत करते हुए आदेश जारी किया (संलग्न-र/5)। इस संदर्भ में टीबीसी द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई (संलग्न-र/6)। दिनांक 30 अप्रैल 2005 का आदेश छत्तीसगढ़ शासन द्वारा

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अधिनियम, 1973 की धारा 4 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्गत किया गया है। छ. ग. शासन ने वैधानिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए न केवल पाठ्यपुस्तकों को अनुशंसित किया, अपितु उनके निर्माण, मुद्रण, प्रकाशन एवं वितरण का कार्य टीबीसी को सौंपा। टीबीसी द्वारा तैयार, मुद्रित एवं प्रकाशित पाठ्यपुस्तकें, याचिकाकर्ता द्वारा प्रकाशित पुस्तकों की तुलना में लगभग 50% सस्ती हैं। छत्तीसगढ़ शासन के निर्धन विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तकों का वितरण जनकल्याण एवं जनहित का एक महत्वपूर्ण अंग है, अतः छ.ग. शासन का यह निर्णय न तो मनमाना कहा जा सकता है एवं न ही अनुचित। इसी प्रकार का जवाब पाठ्यपुस्तक निगम (टीबीसी) एवं छ.ग. शासन की ओर से भी प्रस्तुत किया गया है तथा प्रार्थना की गई है कि याचिका खारिज की जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. मैने, श्री वी.जी. तामस्कर, याचिकाकर्ता के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करने वाले (विद्वान अधिवक्ता) को सुना। छ.ग. शासन/उत्तरवादी क्रमांक 1 की ओर से श्री प्रशांत मिश्रा, (अतिरिक्त महाधिवक्ता) को सुना। उत्तरवादी क्रमांक 2 की ओर से श्री एच.बी. अग्रवाल, (वरिष्ठ अधिवक्ता) के साथ श्री बी.डी. गुरु एवं कु. शिप्रा बिस्वास, (अधिवक्ता) को सुना। तथा उत्तरवादी क्रमांक 3 की ओर से श्री रणबीर सिंह मरहास (अधिवक्ता) को भी सुना।

6. श्री वी.जी. तामस्कर, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि चूंकि माध्यमिक शिक्षा मंडल ने याचिकाकर्ता के साथ दिनांक 12-06-2002 को प्रश्नगत पाठ्यपुस्तकों के मुद्रण, प्रकाशन एवं वितरण हेतु 5 वर्षों की अवधि के लिए करार किया था, अतः उत्तरवादीगण को उक्त करार /संविदा को एकपक्षी रूप से समाप्त करने का कोई अधिकार नहीं था। श्री तामस्कर द्वारा

उठाया गया दूसरा मुख्य आधार यह था कि 'माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश, 1965' (संक्षेप में 'विनियम 1965') के विनियम क्रमांक 30 से 39 के अनुसार, जो कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ शासन में प्रभावशील हैं, पाठ्यक्रम समिति का गठन किया जायेगा, एवं प्रत्येक समिति को संबंधित विषय अथवा विषयों में पाठ्यक्रम निर्धारित करेगी। प्रत्येक पाठ्यक्रम समिति की बैठक प्रति वर्ष अगस्त अथवा सितंबर माह में आयोजित की जाती है, जिसमें परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। तत्पश्चात समिति द्वारा स्वीकृत पाठ्यक्रम समिति के संयोजक के माध्यम से सामान्यतः मंडल की जनवरी माह की बैठक में प्रस्तुत किया जाता है, जहाँ मंडल समिति की अनुशंसाओं पर विचार कर अंतिम निर्णय लेता है। उसके पश्चात मंडल द्वारा अनुशंसित पाठ्यपुस्तकों को अधिनियम, 1973 की धारा 4(1) के अंतर्गत शासन को अनुशंसा हेतु भेजा जाता है। अतः यह स्पष्ट नहीं है कि शासन द्वारा इतने कम समय में पाठ्यपुस्तकों का निर्णय कैसे ले लिया गया, जिससे यह सिद्ध होता है कि ऐसे में उत्तरवादीगण द्वारा की गई विभिन्न कार्यवाहियाँ अवैध हैं एवं याचिकाकर्ता एवं मंडल के बीच संपादित करार/संविदा के विपरीत हैं। अतः यह प्रार्थना की जाती है कि उत्तरवादीगण को पाठ्यपुस्तक निगम के माध्यम से संबंधित पाठ्यपुस्तकों के मुद्रण, प्रकाशन एवं वितरण से रोका जाए तथा याचिकाकर्ता को उक्त पाठ्यपुस्तकों के मुद्रण, प्रकाशन एवं वितरण की अनुमति दी जाए। इस उद्देश्य हेतु याचिकाकर्ता द्वारा सत्र 2005-06 के लिए ₹3,50,000 (रुपये तीन लाख पचास हज़ार मात्र) की रॉयल्टी पहले ही जमा की जा चुकी है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. दूसरी ओर, श्री रणबीर सिंह मरहास एवं श्री प्रशांत मिश्रा, अतिरिक्त महाधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि अधिनियम, 1973 की धारा 3, 4 एवं 5 के प्रावधानों के अनुसार उत्तरवादीगण को पाठ्यपुस्तकों को अनुशंसित करने एवं

उनके मुद्रण, प्रकाशन एवं वितरण का कार्य किसी भी एजेंसी को देने का हक़दार है। धारा 5 के प्रावधानों अनुसार, छ.ग. शासन पाठ्यपुस्तकों के निर्माण, मुद्रण अथवा वितरण का कार्य ऐसी किसी एजेंसी के माध्यम से करवा सकता है, जिसे वह उपयुक्त समझे एवं ऐसी शर्तों एवं प्रावधानों के अंतर्गत जैसा कि निर्धारित किया गया हो। चूंकि छ.ग. शासन ने एक नीति निर्णय के अंतर्गत संबंधित विषय की पाठ्यपुस्तकों को शासन की बालिका छात्राओं को नि:शुल्क प्रदान करने का निर्णय लिया है, एवं उक्त नीति के अनुरूप शासन ने पाठ्यपुस्तक निगम को उन पुस्तकों के मुद्रण, प्रकाशन एवं वितरण के लिए अधिकृत किया है, जो याचिकाकर्ता द्वारा प्रकाशित पुस्तकों की तुलना में लगभग 50% सस्ती हैं। उत्तरवादीगण ने यह भी तर्क दिया कि शासन पुनर्गठन के पश्चात् जब याचिकाकर्ता के साथ दिनांक 12-06-2002 को करार संपादित किया गया, उस समय भी माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा अधिनियम, 1973 की धारा 4 में निहित प्रावधान के अनुरूप छ.ग. शासन से पूर्वानुमति प्राप्त नहीं की गई थी। शासन की पूर्वानुमति के अभाव में याचिकाकर्ता के साथ करार किया गया था एवं उन पुस्तकों को भी शासन द्वारा धारा 4 के अंतर्गत स्वीकृति प्रदान नहीं की गई थी। जबकि वर्तमान प्रकरण में शासन ने अधिनियम, 1973 की धारा 3 एवं 4 के प्रावधानों के अनुरूप माध्यमिक शिक्षा मंडल से परामर्श प्राप्त कर पाठ्यपुस्तकों को अनुशंसित किया है, अतः याचिकाकर्ता को उत्तरवादीगण की कार्यवाही पर आपत्ति करने का कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. न्यायालय द्वारा पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनने के पश्चात्, विधिक स्थिति का परीक्षण किया गया है। अधिनियम, 1973 की धारा 2(घ) में "पाठ्यक्रम" की परिभाषा दी गई है, जिसके अनुसार "पाठ्यक्रम" का अर्थ प्रत्येक

कक्षा के लिए प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक विद्यालय शिक्षा एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा हेतु पाठ्य निर्देशों की एक लिखित रूपरेखा होती है|

अधिनियम, 1973 की धारा 2(ङ) में "पाठ्यपुस्तक" की परिभाषा इस प्रकार दी गई है:

(i) अंतिम परीक्षा के संदर्भ में, "पाठ्यपुस्तक" से अभिप्राय ऐसी किसी भी पुस्तक से है, जिसे शासन द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार अनुमोदित किया गया हो।

(ii) किसी अन्य परीक्षा के संदर्भ में, जो किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय या बोर्ड से संबद्ध विद्यालय में आयोजित की जाती है, "पाठ्यपुस्तक" का अर्थ ऐसी पुस्तक से है, जिसे शासन द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार अनुमोदित किया गया हो।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

धारा 3 में पाठ्यक्रम निर्धारित किए जाने की व्यवस्था की गई है, एवं एक बार पाठ्यक्रम निर्धारित हो जाने के पश्चात, उसके अनुसार पाठ्यपुस्तकों का निर्धारण करना अगला कदम होता है। धारा 3 की उपधारा (1) में यह उपबंधित है कि, "उपधारा (2) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, शासन समय-समय पर प्राथमिक शिक्षा तथा माध्यमिक विद्यालय शिक्षा के संदर्भ में तथा बोर्ड समय-समय पर उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के संदर्भ में पाठ्यक्रम निर्धारित कर सकेगा तथा उसे ऐसे प्रकार से प्रकाशित करेगा, जैसा कि विनियमित किया गया हो।" धारा 3 की उपधारा (2) में यह प्रावधान है कि, "प्राथमिक शिक्षा एवं माध्यमिक विद्यालय शिक्षा के लिए शासन द्वारा तथा उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के लिए बोर्ड द्वारा नियुक्त तिथि से पूर्व निर्धारित एवं प्रवर्तित पाठ्यक्रम ही उपधारा (1) के प्रयोजनों हेतु निर्धारित एवं प्रकाशित पाठ्यक्रम माना जाएगा।"

9. धारा 4 की उपधारा (1) के अनुसार यह परिकल्पना है कि "शासन, आदेश द्वारा, धारा 3 के अंतर्गत निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार पाठ्यपुस्तकों का निर्धारण कर सकता है : परंतु, यह उपबंधित है कि उच्चतर माध्यमिक शिक्षा हेतु पाठ्यपुस्तकों का निर्धारण बोर्ड से पूर्व परामर्श किए बिना नहीं किया जाएगा।" धारा 5 में पाठ्यपुस्तकों की तैयारी, मुद्रण एवं वितरण से संबंधित हैं, जिसमे यह परिकल्पना की गयी है जिसके अनुसार शासन, यदि आवश्यक समझे, तो पाठ्यपुस्तकों की तैयारी, मुद्रण अथवा वितरण का कार्य स्वयं कर सकता है अथवा किसी उपयुक्त अभिकरण के माध्यम से, ऐसे शर्तों एवं विधियों पर, जो विनियमित की गई हों, उक्त कार्य करवा सकता है। इसलिए अधिनियम 1973 के उपरोक्त प्रावधानों को स्पष्ट रूप से पढने से यह स्पष्ट हो जाता है कि माध्यमिक शिक्षा के विनिर्दिष्ट पाठ्यक्रम के अनुरूप, शासन द्वारा, अनिवार्यत: बोर्ड से पूर्व परामर्श उपरांत ही किया जाना विधिसम्मत है। पाठ्य पुस्तकें राज्य शासन द्वारा धारा 3 के अंतर्गत निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार बोर्ड के पूर्व परामर्श से निर्धारित की जाती है

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. वर्त्तमान वाद के तथ्यों का संज्ञान लिया जाए, तो यह स्पष्ट होता है कि बोर्ड तथा शासन दोनों ने अपने जवाब में यह स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त किया है कि याचिकाकर्ता के साथ करार /समझौता संपादित करते समय उक्त पाठ्यपुस्तकों का अभिप्रमाणन छत्तीसगढ़ शासन द्वारा नहीं किया गया था, अपितु केवल बोर्ड द्वारा किया गया था |शासन की अनुमोदन के अभाव में, पाठ्यपुस्तकों का अभिप्रमाणन किया गया था, एवं उन्हीं पाठ्यपुस्तकों का मुद्रण याचिकाकर्ता द्वारा किया जा रहा था। जबकि, शासन द्वारा प्रस्तुत जवाब के अनुसार, शासन के निवेदन पर बोर्ड द्वारा पाठ्यपुस्तकों का संशोधन किया गया एवं पाठ्यक्रम के अनुरूप पाठ्यपुस्तकों की पांडुलिपि का नवसृजन नये सिरे से किया गया। दिनांक 30 अप्रैल 2005 को शासन द्वारा एक आदेश पारित किया गया, जिसमें यह उल्लिखित था कि पाठ्यक्रम समिति द्वारा स्वीकृत संशोधित पांडुलिपि प्राप्त हो चुकी है एवं

उसी के पाठ्यपुस्तकों को निर्धारित किए जाने हेतु अनुरोध किया गया है। उक्त अनुरोध पर विचार करते हुए एवं बोर्ड से परामर्श उपरांत, शासन ने अधिनियम, 1973 की धारा 4 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कक्षा 9 वीं एवं 10 वीं के लिए पाठ्यपुस्तकों का विधिपूर्वक निर्धारण किया। तत्पश्चात, शासन द्वारा अधिनियम, 1973 की धारा 5 के अंतर्गत आदेश दिनांक 01-06-2005 के माध्यम से पाठ्य पुस्तक निगम को पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशन के लिए अधिकृत किया गया, तथा पाठ्य पुस्तक निगम जो कि एक शासकीय निकाय है, उसे शासन द्वारा आदेश दिनांक 05-08-2004 के तहत गठित किया गया था। अतः शासन की यह कार्रवाई न तो अवैध है, न ही मनमानी या अयुक्तियुक्त है।अतः दिनांक 12-06-2002 को याचिकाकर्ता के साथ मंडल द्वारा किया गया समझौता अधिनियम, 1973 की धाराओं 4 एवं 5 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं था, जैसा कि उपर्युक्त धाराओं में उद्धधृत है, क्योंकिं यह राज्य शासन पर ब धनकारी नहीं था क्योंकि राज्य शासन उक्त दिनांक 12-06-2002 में संविदा का पक्षकार नहीं था इसके अतिरिक्त, पाठ्य पुस्तकों में परिवर्तन करना तथा उन्हें छपवाना, प्रकाशित करना एवं वितरण करना, यह सब कार्य शासन द्वारा वर्ष 2004 में गठित छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम के माध्यम से किया गया, एवं वह भी कक्षा 9 वीं एवं 10 वीं की छात्राओं को नि:शुल्क वितरित करने हेतु किया गया, जो कि शासन का एक नीतिगत निर्णय था। उक्त निर्णय को चुनौती नहीं दी जा सकती, एवं इस विषय में मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय "मध्य प्रदेश शासन एवं अन्य बनाम राम रघुवीर प्रसाद अग्रवाल एवं अन्य", AIR 1979 सुप्रीम कोर्ट 888, में प्रतिवेदित किये गए निर्णय से अपने विचार को पुष्ट करता हूँ

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. उत्तरवादी अधिवक्ता द्वारा विनियमन, 1965 के विनियम 30 से 39 एवं 213 के अनुपालन के संबंध में जो बिंदु उठाया गया है, बोर्ड एवं राज्य शासन द्वारा में यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया है कि पाठ्य पुस्तकों की अनुशंसा समिति द्वारा की गई थी

तत्पश्चात मंडल द्वारा समिति की रिपोर्ट के अनुसार पाठ्य पुस्तकों का संशोधन किया था, पाठ्यक्रम के अनुसार पांडुलिपि तैयार की गई, एवं उसे शासन की अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया। शासन द्वारा दिनांक 30-04-2005 को आदेश पारित कर उक्त पांडुलिपियों को अनुमोदन प्रदान की गई। यहाँ तक कि इस न्यायालय द्वारा सुनवाई के दौरान पांडुलिपियों को माँगा गया था एवं उत्तरदाताओ ने वे पांडुलिपियाँ प्रस्तुत कीं जिन्हें पाठ्यक्रम समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि शासन द्वारा विनियमन, 1965 तथा अधिनियम, 1973 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुपालन किए बिना पाठ्य पुस्तकें निर्धारित की गई थी।

12. शासन द्वारा पाठ्य पुस्तकों में अधिनियम, 1973 की धारा 3 एवं 4 के प्रावधानों के अनुसार परिवर्तन किया गया है। उक्त पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण, प्रकाशन एवं वितरण अधिनियम, 1973 की धारा 5 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम को सौंपा गया है। मंडल को शासन के नीतिगत निर्णयों के अनुसार कार्य करना है। चूँकि याचिकाकर्ता एवं मंडल के मध्य संपादित करार में शासन पक्षकार नहीं था, अतः याचिकाकर्ता को उक्त समझौता करार लागू करने का हकदार नहीं है। तथापि, यदि याचिकाकर्ता को उक्त करार के कारण किसी प्रकार की वित्तीय हानि हुई हो, तो वह लागू विधि के अनुसार कार्य करने के लिए स्वतंत्र है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. परिणामस्वरूप, उपर्युक्त समस्त रिट याचिकाएं उक्त कारणों से सारहीन हैं , अतः उन्हें खारिज किया जाना उचित होगा। अतः उक्त याचिकाएं उपरोक्त स्थित में खारिज की जाती हैं। वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा।

हस्ताक्षर/-
(एल.सी.भादू)
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय** गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन **का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा एवं कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By- Advocate Indrapreet Kaur Chhabra

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur